मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3189
12 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत प्रस्ताव

3189. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान लघु और मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि हेतु स्वीकृत प्रस्तावों और धनराशि का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं और इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जाएगा;

(घ) क्या कुछ स्वीकृत प्रस्ताव निर्धारित समय के भीतर पूरे नहीं हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को छोटे और मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम(यूआईडीएसएसएमटी) नामक उप घटक सहित दिसंबर, 2005 में 7 वर्ष की अवधि अर्थात 31 मार्च 2012 तक के लिए शुरु किया गया। यूआईडीएसएसएमटी घटक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छोटे और मध्यम कस्बों में केन्द्रीय सहायता से अवसंरचना विकास करने के लिए था । तथापि, जेएनएनयूआरएम को 2 वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इस प्रकार, 31 मार्च, 2014 के बाद राज्यों से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ) से (च) : जेएनएनयूआरएम के घटक यूआईडीएसएसएमटी की सभी परियोजनाओं जिनमें केंद्रीय सहायता का 50% या इससे अधिक जारी किया गया था और 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार वास्तविक प्रगति 50% या उससे अधिक थी या मिशन के ट्रांजिशन चरण (1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014) के दौरान स्वीकृत किया गया था, को 31 मार्च, 2017 तक अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत वित्त पोषण के लिए अनुमोदित किया गया था। मिशन की समाप्ति के बाद, सभी परियोजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंप दिया गया था।

*****